न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 40/2021 (2021/70)

अपीलार्थी

भंवरलाल पुत्र अचलाराम, जाति पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी ठूठावास मार्ग, धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. अचलाराम पुत्र भीकाराम
2. श्रीमती टीपूदेवी पत्नी भीकाराम
3. अणची देवी पुत्री भीकाराम
4. अमीया पुत्री भीकाराम
5. कमला देवी पुत्री भीकाराम
6. लहरी देवी पुत्री भीकाराम
7. सुखली पुत्री भीकाराम

सभी जातियान पटेल, निवासीगण ठूठावास मार्ग, धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 459 ग्राम राबड़ियावास जो उप तहसीलदार झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 11.08.2020 को स्वीकार किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह व करण सिंह (अपीलार्थी)।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेष :— दिनांक :— 23.05.2022

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 459 ग्राम राबड़ियावास जो उप तहसीलदार झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 11.08.2020 को स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के दादा भीकाराम पुत्र सगताराम की एक कृषि भूमि खसरा नं0 120/1 रकबा 16 बीघा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम राबड़ियावास पटवार हल्का धवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 भीकाराम द्वारा अपनी स्वयं अर्जित आय से खरीद की हुई है। उक्त भूमि के संबंध में भीकाराम ने अपने जीवित रहते एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2014 को अपीलार्थी के हक में निष्पादित किया जो वसीयतनामा उप पंजीयक झंवर के यह दिनांक 03.06.2014 को पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 1, पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 20 पर पंजीबद्ध किया गया। अपीलार्थी के दादा भीकाराम का देहान्त दिनांक 03.07.2016 को हो जाने के पश्चात् उक्त वसीयतनामें के आधार पर उक्त भूमि का मालिकाना हक अपीलार्थी को हस्तान्तरण हो गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अपीलार्थी को बिना जानकारी दिये अपने हक में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया, इससे व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 07 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 17.05.2022 सुनी गई तथा पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी अभिभाषक ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में बतलाया प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2021 को पटवारी धवा प्रथम को एक प्रार्थना–पत्र नामान्तरकरण भरने के संबंध में दिया तब पटवारी द्वारा प्रार्थी को जानकारी दी गई कि उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में दिनांक 27.08.2020 को नामान्तरकरण भरा जा चुका है तब प्रार्थी ने पटवारी के समक्ष जमाबन्दी की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 07.09.2021 को जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब प्रार्थी को जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक में उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 459 की सत्यापित प्रतिलिपि पी0 35 क्रमांक 553 दिनांक 18.10.2021 को प्राप्त करने पर अपीलार्थी को अपीलीधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के दादा भीकाराम पुत्र सगताराम की एक कृषि भूमि खसरा नं0 120/1 रकबा 16 बीघा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम राबड़ियावास पटवार हल्का धवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 भीकाराम द्वारा अपनी स्वयं अर्जित आय से खरीद की हुई है। उक्त भूमि के संबंध में भीकाराम ने अपने जीवित रहते एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 03.06.2014 को अपीलार्थी के हक में निष्पादित किया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

वसीयतनामा उप पंजीयक झंवर के यह दिनांक 03.06.2014 को पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 1, पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 20 पर पंजीबद्ध किया गया। अपीलार्थी के दादा भीकाराम का देहान्त दिनांक 03.07.2016 को हो जाने के पश्चात् उक्त वसीयतनामें के आधार पर उक्त भूमि का मालिकाना हक अपीलार्थी को हस्तान्तरण हो गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अपीलार्थी को बिना जानकारी दिये अपने हक में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमीन को पुश्तैनी मानते हुए वंशावली के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 भीकाराम की स्वयं की आय से अर्जित भूमि है। जिसकी वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में स्व0 भीकाराम द्वारा निष्पादित की गई। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण करने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी के जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होने पर भी रेस्पो0 संख्या 1 से 7 अनुपस्थित।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी अभिभाषक ने बतलाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2021 को पटवारी धवा प्रथम को एक प्रार्थना–पत्र नामान्तरकरण भरने के संबंध में दिया तब पटवारी द्वारा प्रार्थी को जानकारी दी गई कि उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में दिनांक 11.08.2020 को नामान्तरकरण भरा जा चुका है तब प्रार्थी ने पटवारी के समक्ष जमाबन्दी की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 07.09.2021 को जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब प्रार्थी को जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक में उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 459 की सत्यापित प्रतिलिपि पी0 35 क्रमांक 553 दिनांक 18.10.2021 को प्राप्त करने पर अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट पक्ष नोटिस तामिल बाबजूद अनुपस्थित। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील को गुणावगुण पर निर्णय इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार है कि यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी के दादा स्व0 भीकाराम द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया गया था तथा उक्त विवादित भूमि अपीलार्थी के दादा की स्वयं की आय से अर्जित भूमि है। अतः भीकाराम के देहान्त के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि के अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त हो गये। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झंवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 459 ग्राम राबड़ियावास दिनांक 11.08.2020 को भीकाराम के वारिसान् के नाम स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किया जाकर अपील उप तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested